अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश – 76

अधि0सं0–निग / सारा–1 (पथ) आरोप–17 / 16 पटना, दिनांक :– 14/3/19

पथ प्रमंडल संख्या–1, औरंगाबाद अन्तर्गत फेसर–पंचरूखिया पथ की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–1 द्वारा किया गया तथा जाँचोपरांत उड़नदस्ता के पत्रांक–174 (अनु0) दिनांक–25.06.10 एवं पत्रांक–281 अनु0 दिनांक–25.11.10 द्वारा समर्पित गुणवत्ता प्रतिवेदन के आधार पर पायी गयी त्रुटियों के संबंध में श्री परमानंद पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, औरंगाबाद सम्प्रतिः कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल संख्या–1, पथ निर्माण विभाग, बिहारशरीफ से विभागीय पत्रांक–4379 (ई) अनु0 दिनांक–19.07.12, स्मार पत्रांक–577(E) दिनांक–04.02.2013 को एवं स्मार पत्रांक–566 दिनांक–18.06.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री पासवान के पत्रांक–शून्य दिनांक–09.10.14 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

2. श्री पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के विभागीय / तकनीकी समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाते हुए विभागीय विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–44, सहपठित ज्ञापांक–1190(E) दिनांक–03.03.17 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध आलोच्य पथ में कराये गये WMM, GSB, BM एवं SDBC कार्यो में पायी गयी अनियमितता से संबंधित कुल आठ आरापों के संबंध में प्रपत्र–'क' गठित करते हुए मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के द्वारा समर्पित पत्रांक–3928 अनु0 दिनांक–04.12.18 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोपों में आरोप संख्या–(i) को प्रमाणित आरोप संख्या–(ii) को अंशतः प्रमाणित एवं आरोप संख्या–(iii) को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया, जबकि आरोप संख्या–(iv) से (viii) तक का संबंध श्री पासवान से नहीं होने का उल्लेख किया गया है। संचालन प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप संख्या–(i) एवं आरोप संख्या–(ii) के संबंध में क्रमशः प्रमाणित एवं अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किये जाने के आलोक में विभागीय पत्रांक–348(S) दिनांक–10.01.2019 द्वारा आरोपी श्री परमानंद पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की माँग की गयी।

4. श्री पासवान के पत्रांक–शून्य, दिनांक–25.01.2019 द्वारा समर्पित अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के तहत अन्य परिस्थितिजन्य कारणों का उल्लेख करते हुए मुख्य रूप से प्रश्नगत मामले में ही संलग्न अन्य अभियंताओं यथा– कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता (गुण नियंत्रण सहित) के विरूद्ध समरूप आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त कर दिये जाने की स्थिति में स्वंय को भी आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री पासवान के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा की गई। समीक्षोंपरांत पाया गया कि प्रश्नगत मामले में ही श्री पासवान के अतिरिक्त संलग्न अन्य अभियंताओं यथा– श्री इम्तियाज अहमद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य, तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता एवं श्री सूरज प्रकाश, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण के विरूद्ध समरूप आरोपों के लिए दो भिन्न–भिन्न संचालन पदाधिकरियों के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसमें दोनों संचालन पदाधिकारियों के द्वारा अपने–अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया था एवं विषयगत मामले पर विभागीय तकनीकी समिति की अनुशंसा / मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसके द्वारा उड़नदस्ता जाँच दल के प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन

में पथ की भौतिक स्थिति के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं किये जाने एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के त्रुटिपूर्ण होने को दृष्टिपथ में रखते हुए संचालन प्रतिवेदन से सहमत होने का मंतव्य दिया गया।

6. विभागीय तकनीकी समिति की प्राप्त अनुशंसा/मंतव्य की विभागीय समीक्षा के उपरांत क्रम में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत वर्णित चारों आरोपित अभियंताओं के विरूद्ध प्रपत्र 'क' के तहत गठित सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। चूँकि समरूप आरोपों के संदर्भ में संलग्न चारों अभियंताओं के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विभाग द्वारा अंतिम रूप में आरोप मुक्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में समरूप आरोपों के लिए श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उन्हें दण्डित किये जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है।

तद्आलोक में प्रश्नगत मामले में संगत अभिलेखों एवं साक्ष्यों की समीक्षा के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत श्री परमानंद पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, औरंगाबाद सम्प्रतिः कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल संख्या–1, पथ निर्माण विभाग, बिहारशरीफ को प्रपत्र–'क' के तहत गठित आरोपों से मुक्त करते हुए संचालित विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है।

ह0/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 2111(E) **पटना, दिनांक :–** 14/3/19

प्रतिलिपि :– उप सचिव, प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को इस कार्यालय आदेश को विभागीय web site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

13/3/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

13/03/19

Mr. ... upload it 15.3.19

IT Manager ... 18/03/19